# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः—विकास मोहन भाटी,R.A.S.

राजस्व अपील संख्याः 5/2023 दायर दिनाँक 20.07.2023

**अपीलार्थी**

1. बाबूलाल पुत्र स्व. शांति देवी पुत्री जोरिया पत्नि सवाईराम जाति मेघवाल निवासी भवाद हाल निवासी गोराव कल्याणपुरा तहसील मकराना जिला नागौर राज.।

बनाम्

**प्रत्यर्थीगण**

1. कमली पुत्री जोरिया पत्नी गिरधारीलाल जाति मेघवाल निवासी पावा तहसील डीडवाना जिला नागौर।
2. कैलाश पुत्र शांति पुत्री जोरिया
3. लाडादेवी पुत्री शांति पुत्री जोरिया

प्रत्यर्थीगण 2 व 3 जाति मेघवाल हाल निवासी गोराव कल्याणपुरा तहसील मकराना जिला नागौर राज.

4. नाथूराम पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी भवाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.
5. सरपंच ग्राम पंचायत पावा पं. सं. डीडवाना जिला नागौर राज.
6. सरपंच ग्राम पंचायत खरवालिया
7. हल्का पटवारी ग्राम पंचायत खरवालिया
8. मैनेजर युको बैंक शाखा छोटी खाटू
9. तहसीलदार डीडवाना
10. उपपंजीयक/नायब तहसीलदार छोटी खाटू।

अपील विरूद्ध

नामान्तकरण संख्या 136 दिनांक 15.06.1987 बाबत् खसरा नम्बर 354, 410, 411 व 421 वाके सरहद भवाद तहसील डीडवाना

अन्तर्गत धारा 75 L.R.Act

प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी0

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:46:43 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः—

1. श्री नागपाल सिंह वकील अपीलार्थी।
2. श्री शिवभगवान चौधरी वकील प्रार्थी।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

## —:: निर्णय ::—

दिनॉंक16.01.2026

उक्त प्रकरण में प्रार्थी दीपक पुत्र स्व. जेठाराम जाति मेघवाल निवासी बड़ाबरा तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना—कुचामन राज. ने दिनांक 27.05. 2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता के पेश किया जिसके संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि—

प्रार्थी के पिताजी स्व. जेठाराम पुत्र गीगाराम मेघवाल निवासी बड़ावरा को अपने ससुराल में पत्नी केलू देवी पुत्री जोराराम निवासी भवाद के कोई भाई नहीं होने से स्व. जोराराम जी ने अपना घर जंवाई अपने जीवनकाल में ही रख लिया था, जिस वजह से स्व. जोराराम जी के स्वर्गवास होने के बाद म्यूटेशन में स्व. जेठाराम के नाम खोला गया था, जो सही खोला गया है। प्रार्थी के पिता स्व. जेठाराम के नाम वर्तमान में खातेदारी होने की वजह से प्रार्थी व उसके भाई महेन्द्र, राकेश, गोविन्द का भी वाजिब हिताधिकारी होने से इनको बतौर प्रत्यर्थी संख्या 11, 12, 13, 14 स्थान पर प्रतिस्थापित करवाया जाना आवश्यक है, जिससे न्याय निर्णयन सही हो सके। अभी उक्त प्रकरण प्रारम्भिक अवस्था में होने से प्रकरण में कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश अपने जवाब में बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र कपोल कल्पित व मनगढ़त है, जो बिना किसी कानूनी आधार के मात्र न्यायालय का समय जाया करने व मामले को जैसे तैसे लम्बा चलाने की फिराक में पेश किया है, जो प्रथम दृष्टया ही खारीज होने योग्य है। क्योंकि प्रार्थना पत्र एक काल्पनिक कहानी बनाकर कि "प्रार्थी के पिता स्व. जेठाराम पुत्र गीगाराम मेघवाल निवासी बडाबरा को ससुराल में जोगाराम निवासी भवाद ने घर जंवाई अपने जीवन काल में ही रख लिया था" जो सरासर गलत है। क्योंकि अपीलार्थी के नाना स्व. जोगाराम ने किसी भी जवांई को घर जंवाई नहीं रखा न ही कभी घर जंवाई रखने की बात किसी के सामने रखी। यदि ऐसा कोई दस्तावेज है तो प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ पेश करना था। अपीलार्थी ने अपील में नामान्तरण को चुनोती दी है। जिसकी प्रति अपील के साथ है तथा वो प्रति ही अपील का आधार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र कपोल कल्पित व मनगढ़त है, जो गलत तथ्यों पर व सबूतों के अभाव में सारहीन तथा आधारहीन होने से जो खारीज होने योग्य है। वादग्रस्त जायगा की भूमि स्व. केलकी की पैतृक सम्पत्ति है, जिस पर कैलकी का कब्जा काश्त रहा तथा उसकी मृत्यु के बाद केलकी की बहनों का स्व. केलकी की पैतृक भूमि पर कब्जा काश्त है। जिसका स्व. केलकी की मृत्यु के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा स्व. केलकी पत्नी जेठाराम का नामान्तकरण खोला गया, जो गलत नामान्तरण खोला गया । उसी नामान्तरण के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के स[illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का [illegible] प्रार्थना पत्र स्वतः खारीज होने योग्य है। अपीलार्थी अधिवक्ता [illegible] विशेष कथन [illegible] बताया कि जोराराम को कभी भी ससुराल वालों के पास [illegible] या केलकी के [illegible] पिता द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज निष्पादित नही किया। केलकी [illegible] भूमि का नामान्तरण जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:46:43 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

खोला गया था। उक्त सम्पति स्व. केलकी के पिता से प्राप्त पैतृक सम्पति है। जिसका नामान्तरण केलकी के नजदीकी वारिसों का भरा जाना था। न कि जेठाराम के नाम से।

वकील प्रार्थी ने लिखित बहस पेश कर बहस में बताया कि प्रार्थी के स्व. पिताजी जेठाराम को उसके ससुर स्व. जोराराम ने अपने जीवनकाल में कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने से घर जवाई के तौर पर रखा गया था इसी वजह से स्व. जेठाराम का नाम म्युटेशन में खोला गया था तथा उसके बाद उसकी पत्नी व उसकी सन्तान का नाम भी जेठाराम के स्थान पर चढाया जाना आवश्यक हो गया है तथा गैरवाजिब भी नहीं है क्योंकि वैसे भी केलूदेवी पुत्री जोराराम का हिस्सा तो अपने स्व. पिताजी की सम्पति में धारा 6 में साफ लिखा है कि उत्तराधिकारी कौन होंगे। इसलिए जेठाराम के स्थान पर भी उत्तराधिकारी दिया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी तथा उसके भाईयों महेन्द्र, राकेश व गोविन्द का नाम बतौर उतराधिकारी कानूनी रूप से होने से प्रार्थी की दरख्वास्त स्वीकार की जावे।

वकील अपीलार्थी ने लिखित बहस पेश कर बहस में बताया कि अपीलार्थी की अपील नामान्तरण सं. 136 दिनांक 15.06.1987 के विरूद्ध पेश की गई है।उक्त नामान्तरण संबंधित कर्मचारी हल्का पटवारी व सरपंच है, जिन्होंने हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की प्रोपर पालना न कर उक्त नामान्तरण भरा जो विधि के विरूद्ध भरा गया है। जिसकी अपील श्रीमान के समक्ष पेश की गई है। उक्त नामान्तरण के दर्ज होने से न्याय की अवहेलना हुई है, जिस कारण अपील पेश है जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 में यह हवाला दिया गया है कि स्व. जोरिया उर्फ जोरा राम ने जेठाराम को गोद लिया था, जबकि ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया गया है और न ही इस प्रकार का कोई दस्तावेज रिकार्ड पर है, क्योंकि स्व. जोरिया ने कभी भी किसी को गोद नहीं लिया स्व. जोरिया की पुत्री केलकी शादी के कुछ वर्षों बाद ही ना औलाद फोत हो गई थी, जिस कारण प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के होने से सारहीन है, जो स्वतः खारीज होने योग्य है। नामान्तरण संख्या 136 दिनांक 15.06.1987 में स्पष्ट लिख हुआ है कि स्व. केलकी मृत्यु के समय निः संतान थी अर्थात कोई जायन्दा लड़का व लड़की नहीं है, उक्त भूमि स्व. केलकी की पैतृक सम्पती है। जिस पर प्रार्थना पत्र के पक्षकार का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र के पक्षकार का स्व. केलकी व उनके पूर्वज पिता स्व. जोरिया से कोई रिश्ता वास्ता नहीं है, जबकि अपील की सम्पति पैतृक सम्पति है। प्रार्थना पत्र में सभी तथ्य मनगढ़त व कल्पित है। किसी प्रकार का कोई गोदनामा जोरिया ने जेठाराम के पक्ष में नहीं करवाया है। उक्त प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है जिससे की अपीलार्थी की नामान्तरण के विरूद्ध [illegible] होना हो, क्योंकि अपील में नामान्तरण को चैलेंज किया गया है [illegible] जिसमें हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की पालना प्रोपर नहीं हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:46:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सीकवाना

प्रकरण में उभयपक्षकारान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस कथन किया कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में साफ लिखा है कि उत्तराधिकारी कौन होंगे। इसलिए जेठाराम के स्थान पर भी उत्तराधिकारी दिया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी तथा उसके भाईयों महेन्द्र, राकेश व गोविन्द का नाम बतौर उत्तराधिकारी कानूनी रूप से होने से प्रार्थी की दरख्वास्त स्वीकार की जावे। प्रतिउत्तर में दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 में यह हवाला दिया गया है कि स्व. जोरिया उर्फ जोरा राम ने जेठाराम को गोद लिया था, जबकि ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया गया है और न ही इस प्रकार का कोई दस्तावेज रिकार्ड पर है, क्योंकि स्व. जोरिया ने कभी भी किसी को गोद नहीं लिया स्व. जोरिया की पुत्री केलकी शादी के कुछ वर्षों बाद ही ना औलाद फोत हो गई थी, जिस कारण प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के होने से सारहीन है, जो स्वतः खारीज होने योग्य है। नामान्तरण संख्या 136 दिनांक 15.06.1987 में स्पष्ट लिख हुआ है कि स्व. केलकी मृत्यु के समय निः संतान थी अर्थात कोई जायन्दा लड़का व लड़की नहीं है, उक्त भूमि स्व. केलकी की पैतृक सम्पती है। जिस पर प्रार्थना पत्र के पक्षकार का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र के पक्षकार का स्व. केलकी व उनके पूर्वज पिता स्व. जोरिया से कोई रिश्ता वास्ता नहीं है, जबकि अपील की सम्पति पैतृक सम्पति है। प्रार्थना पत्र में सभी तथ्य मनगढ़त व कल्पित है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, वकील अपीलार्थी के जवाब का गहनता से अवलोकन एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के पिताजी स्व. जेठाराम पुत्र गीगाराम मेघवाल को जोराराम के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने से घर जवाई रहने का कथन किया है एवं जोराराम की पुत्री केलकी के नाऔलाद फौत होने पर जेठाराम का नामान्तकरण सही भरे जाने का कथन किया है। जबकि अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है कि स्व. जोरिया उर्फ जोरा राम ने जेठाराम को गोद लिया था, जबकि ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया गया है और न ही इस प्रकार का कोई दस्तावेज रिकार्ड पर है, क्योंकि स्व. जोरिया ने कभी भी किसी को गोद नहीं लिया स्व. जोरिया की पुत्री केलकी शादी के कुछ वर्षों बाद ही ना औलाद फोत हो गई थी, जिस कारण प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के होने से सारहीन है, जो स्वतः खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता के तहत प्रार्थी दीपक एवं प्रार्थी के भाई [illegible] अपने पिता जेठाराम के स्थान पर पक्षकार बनाने का निवेदन किया गया [illegible] स्व. जोरिया ने कभी भी किसी को गोद नहीं लिया एवं गोद [illegible] द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही स्व. जोरिया की पुत्री केलकी शादी के कुछ वर्षों बाद ही ना औलाद फोत हो गई थी एवं प्रार्थी [illegible] जेठाराम की पुत्री केलकी के पुत्र नहीं होकर जेठाराम के पुत्र है। अतः न्यायालय प्रार्थी दीपक एवं प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:46:43 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

भाई महेन्द्र, राकेश, गोविन्द को पक्षकार बनाना उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

## आदेश

प्रार्थी दीपक पुत्र स्व. जेठाराम जाति मेघवाल निवासी बड़ाबरा तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन राज. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता का खारिज किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी,R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **16.01.2026** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी,R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:46:43 IST
Reason: SelfAttested